

## कार्यकारी सारांश

### 1 विहंगावलोकन

मेसर्स लक्ष्मिपती बालाजी सप्लाय चैन मॅनेजमेंट लिमिटेड (यापुढे "एलबीएससीएमएल" किंवा "याचिकाकर्ता" म्हणून संबोधले जाईल) ही कंपनी आहे, जी कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदीनुसार नोंदणीकृत आहे. याचे नोंदणीकृत कार्यालय अर्शिया एफटीडब्ल्यूझेड, Co-०१, सर्वे क्रमांक १७८/३७१७८/४, साई गाव, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड, मुंबई ४१० २२१ येथे आहे. एलबीएससीएमएलने ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी अर्शिया लिमिटेड सोबत सह-विकसक म्हणून करार केला आहे.

एलबीएससीएमएलला भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), एसईझेड अधिनियम, २००५ अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान आणि आयटी सक्षम सेवा (आयटी एंड आयटीइएस) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) साठी सह-विकसक म्हणून १७ डिसेंबर २०१८ रोजी आदेश क्रमांक २७५/२०१८ द्वारे अधिसूचित केले आहे. हे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) महाराष्ट्रातील साई गाव, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड येथे आहे.

एलबीएससीएमएल हे त्याच्या एसईझेड क्षेत्रामध्ये (साई गाव, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड, महाराष्ट्र, भारत) मानीव वितरण परवानाधारक आहे. मा. आयोगाने १७ डिसेंबर २०१८ रोजी आदेश क्रमांक २७५/२०१८ अंतर्गत एलबीएससीएमएलचा मानीव वितरण परवानाधारकाचा दर्जा नोंदवला आहे आणि २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी विशिष्ट परवाना अटींसाठी नियमावली अधिसूचित केली आहे.

### २. एमईआरसी एमवायटी नियम, २०२४ अंतर्गत वर्तमान याचिका दाखल करणे

एलबीएससीएमएल एमईआरसी एमवायटी नियमावली, २०२४ च्या नियम ५.१ नुसार मल्टी-इयर टॅरिफ (एमवायटी) याचिका दाखल करत आहे. यानुसार, याचिकाकर्ता खालील मंजूरीसाठी याचिका सादर करत आहे::

- एमईआरसी एमवायटी नियमावली, २०१९ च्या तरतुदीनुसार आर्थिक वर्ष २०२२-२३ आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे समायोजन;
- एमईआरसी एमवायटी नियमावली, २०१९ च्या तरतुदीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे तात्पुरते समायोजन;
- एमईआरसी एमवायटी नियमावली, २०२४ च्या तरतुदीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० या नियंत्रण कालावधीसाठी प्रत्येक वर्षाचा एकूण महसूल आवश्यकता (एआरआर)
- एमईआरसी एमवायटी नियमावली, २०२४ च्या तरतुदीनुसार; आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० या कालावधीसाठी विद्यमान दरांवर वीज विक्रीतून होणाऱ्या महसूलाचा आणि अंदाजित महसूल तफावत/(अधिशेष) चा आढावा;
- आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० या कालावधीसाठी प्रत्येक वर्षासाठी प्रस्तावित श्रेणी-आधारित टॅरिफ, एमईआरसी एमवायटी नियमावली, २०२४ च्या तरतुदीनुसार.

### ३ आर्थिक वर्ष २०२२-२३ आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ यांचे समायोजन

याचिकाकृत्यनि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे समायोजन एमड्आरसी एमवायटी नियमावली, २०१९ च्या तरतुदीनुसार (ज्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या आहेत) विचारात घेतले आहे. खालील तक्ते वायर बिझनेस आणि पुरवठा व्यवसाय साठी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या सुसूत्रीकरणाना एआरआर सारांश दाखवतात:

**टेबल १: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वायर्स व्यवसायासाठी एआरआर सारांश (कोटी रुपये)**

| तपशील                             | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ |                       | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ |                       |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                   | एमवायटी ऑर्डर       | समायोजनासाठी वास्तविक | एमवायटी ऑर्डर       | समायोजनासाठी वास्तविक |
| ओ अँड एम खर्च                     | ०.५५                | ०.५५                  | ०.५७                | ०.५८                  |
| अवमूल्यन                          | ०.१९                | ०.१८                  | ०.१९                | ०.१९                  |
| कर्ज भांडवलावरील व्याज            | ०.१७                | ०.१७                  | ०.१६                | ०.२०                  |
| वर्किंग कॅपिटलवरील व्याज          | ०.००                | ०.०१                  | ०.०१                | ०.०१                  |
| सीएसडीवरील व्याज                  | ०.००                | ०.००                  | ०.००                | ०.००                  |
| बुडीत व संशयास्पद कर्जासाठी तरतूद | ०.००                | ०.००                  | ०.००                | ०.००                  |
| आपत्कालीन साठ्यात योगदान          | ०.००                | ०.००                  | ०.०२                | ०.०२                  |
| नफा/तोट्याची वाटणी                |                     | ०.१८                  |                     | (०.११)                |
| <b>एकूण महसुली खर्च</b>           | <b>०.९१</b>         | <b>१.१०</b>           | <b>०.९५</b>         | <b>०.८९</b>           |
| जोड: इक्विटी भांडवलावर परतावा     | ०.१७                | ०.१८                  | ०.१७                | ०.१८                  |
| <b>एकूण महसुली आवश्यकता</b>       | <b>१.०८</b>         | <b>१.२८</b>           | <b>१.१२</b>         | <b>१.०७</b>           |
| कमी: नॉन-टॅरिफ उत्पन्न            | ०.०००               | ०.००                  | ०.०००               | ०.००२                 |
| <b>एकूण एआरआर</b>                 | <b>१.०८</b>         | <b>१.२८</b>           | <b>१.१२</b>         | <b>१.०७</b>           |

**टेबल २: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी एआरआर सारांश (कोटी रुपये)**

| तपशील                    | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ |                       | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ |                       |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                          | एमवायटी ऑर्डर       | समायोजनासाठी वास्तविक | एमवायटी ऑर्डर       | समायोजनासाठी वास्तविक |
| वीज खरेदी खर्च           | १.८२                | १.७३                  | २.७६                | २.००                  |
| ओ अँड एम खर्च            | ०.३०                | ०.३०                  | ०.३१                | ०.३२                  |
| अवमूल्यन                 | ०.००                | ०.००                  | ०.००                | ०.००                  |
| कर्ज भांडवलावरील व्याज   | ०.००                | ०.००                  | ०.००                | ०.००                  |
| वर्किंग कॅपिटलवरील व्याज | ०.००                | ०.०४                  | ०.००                | ०.००                  |
| सीएसडीवरील व्याज         | ०.००                | ०.००                  | ०.०३                | ०.०४                  |

| तपशील                             | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ |                       | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ |                       |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                   | एमवायटी ऑर्डर       | समायोजनासाठी वास्तविक | एमवायटी ऑर्डर       | समायोजनासाठी वास्तविक |
| बुडीत व संशयास्पद कर्जासाठी तरतूद | ०.००                | ०.००                  | ०.००                | ०.००                  |
| आपत्कालीन साठ्यात योगदान          | ०.००                | ०.०००                 | ०.०००               | ०.०००२                |
| राज्यांतर्गत पारेषण शुल्क         | ०.००                | ०.००                  | ०.३०                | ०.३०                  |
| एमएसएलडीसी शुल्क आणि शुल्क        | ०.००                | ०.००                  | ०.००                | ०.००                  |
| नफा/तोट्याची वाटणी                | -                   | ०.०८                  | -                   | (०.०७)                |
| <b>एकूण महसुली खर्च</b>           | <b>२.१२</b>         | <b>२.११</b>           | <b>३.४१</b>         | <b>२.६१</b>           |
| जोड: इक्विटी भांडवलावर परतावा     | ०.००२               | ०.००२                 | ०.००२               | ०.००२                 |
| <b>एकूण महसुली आवश्यकता</b>       | <b>२.१२</b>         | <b>२.१२</b>           | <b>३.४१</b>         | <b>२.६१</b>           |
| कमी: नॉन-टॅरिफ उत्पन्न            | ०.००                | ०.००                  | ०.००                | ०.००                  |
| <b>एकूण एआरआर</b>                 | <b>२.१२</b>         | <b>२.१२</b>           | <b>३.४१</b>         | <b>२.६१</b>           |

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी अंतिम समायोजनासाठी महसुली तफावत / (अधिशेष) खालील तक्त्यात दर्शविली आहे:

**टेबल ३: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी एकत्रित महसुली तफावत/(अधिशेष) (कोटी रुपये)**

| तपशील   | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ |                       |
|---|---------------------|-----------------------|
|   | एमवायटी ऑर्डर       | समायोजनासाठी वास्तविक |
| वायर्स व्यवसायासाठी एआरआर                         | १.०८                | १.२८                  |
| पुरवठा व्यवसायासाठी एआरआर                         | २.१२                | २.१६                  |
| <b>संयुक्त वायर आणि पुरवठा व्यवसायासाठी एआरआर</b> | <b>३.२०</b>         | <b>३.२७</b>           |
| व्हीलिंग चार्जेसमधून मिळणारा महसूल                |                     | ०.३१                  |
| किरकोळ दरातून मिळणारा महसूल                       |                     | ४.१३                  |
| <b>टॅरिफमधून मिळणारे एकूण उत्पन्न</b>             | <b>४.८०</b>         | <b>४.४३</b>           |
| वायर्स व्यवसायातील महसुली तफावत/(अधिशेष)          |                     | ०.९७                  |
| पुरवठा व्यवसायातील महसुली तफावत/(अधिशेष)          |                     | (१.९६)                |
| <b>परवानाधारक व्यवसायाची एकूण महसुली तफावत</b>    | <b>(१.५९)</b>       | <b>(१.१७)</b>         |

#### ४. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे तात्पुरते समायोजन

याचिकाकर्त्यांनी वेळोवेळी सुधारित एमवायटी नियम, २०१९ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या तात्पुरत्या समायोजनाची गणना केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी वायर व्यवसाय आणि पुरवठा व्यवसायाच्या तात्पुरत्या समायोजनासाठी खालील तक्ते एआरआरचा सारांश दर्शवितात:

टेबल ४: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी वायर्स व्यवसायासाठी एआरआर सारांश (कोटी रुपये)

| एस.एल.     | तपशील   | एमवायटी ऑर्डर | तात्पुरती वाढ |
|------------|---|---------------|---------------|
| 1.         | ऑपरेशन आणि देखभाल खर्च                        | ०.६०          | ०.६१          |
| 2.         | अवमूल्यन                                      | ०.१९          | ०.१९          |
| 3.         | कर्ज भांडवलावरील व्याज                        | ०.१५          | ०.१८          |
| 4.         | वर्किंग कॅपिटलवरील व्याज                      | ०.०१          | ०.०१          |
| 5.         | वितरण प्रणाली वापरकर्त्यांकडून ठेवीवरील व्याज | ०.००          | ०.०१          |
| 6.         | बुडीत व संशयास्पद कर्जासाठी तरतूद             | ०.००          | ०.००          |
| 7.         | आपत्कालीन साठ्यात योगदान                      | ०.०२          | ०.०२          |
| 8.         | नफा/तोट्याची वाटणी                            |               |               |
| <b>9.</b>  | <b>एकूण महसुली खर्च</b>                       | <b>०.९६</b>   | <b>१.०२</b>   |
| 10.        | जोड: इक्विटी भांडवलावर परतावा                 | ०.१७          | ०.१७          |
| <b>11.</b> | <b>एकूण महसुली आवश्यकता</b>                   | <b>१.१३</b>   | <b>१.१९</b>   |
| 12.        | कमी: नॉन-टॅरिफ उत्पन्न                        | ०.००१         | ०.००          |
| <b>13.</b> | <b>एकूण एकूण महसुली आवश्यकता</b>              | <b>१.१३</b>   | <b>१.१९</b>   |

टेबल ५: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी एआरआर सारांश (कोटी रुपये)

| एस.एल.     | तपशील                             | एमवायटी ऑर्डर | तात्पुरती वाढ |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1.         | वीज खरेदी खर्च                    | ३.६१          | २.३५          |
| 2.         | ऑपरेशन आणि देखभाल खर्च            | ०.३२          | ०.३२          |
| 3.         | अवमूल्यन                          | ०.००४         | ०.००४         |
| 4.         | कर्ज भांडवलावरील व्याज            | ०.००३         | ०.००४         |
| 5.         | वर्किंग कॅपिटलवरील व्याज          | ०.००          | ०.००          |
| 6.         | ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज     | ०.०४          | ०.०५          |
| 7.         | बुडीत व संशयास्पद कर्जासाठी तरतूद | ०.००          | ०.००          |
| 8.         | आपत्कालीन साठ्यात योगदान          | ०.०००         | ०.०००२        |
| 9.         | राज्यांतर्गत पारेषण शुल्क         | ०.३५          | ०.३५          |
| 10.        | एमएसएलडीसी शुल्क आणि शुल्क        | ०.००          | ०.००          |
| <b>11.</b> | <b>एकूण महसुली खर्च</b>           | <b>४.३३</b>   | <b>३.०९</b>   |

| एस.एल.     | तपशील  | एमवायटी ऑर्डर | तात्पुरती वाढ |
|------------|--|---------------|---------------|
| 12.        | जोड: इक्विटी भांडवलावर परतावा                    | ०.००२         | ०.००२         |
| <b>13.</b> | <b>एकूण महसुली आवश्यकता</b>                      | <b>४.३३</b>   | <b>३.०९</b>   |
| 14.        | कमी: नॉन-टॅरिफ उत्पन्न                           | ०.००          | ०.००          |
| <b>15.</b> | <b>किरकोळ पुरवठ्यातून एकूण महसुलाची आवश्यकता</b> | <b>४.३३</b>   | <b>३.०९</b>   |

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी तात्पुरत्या समायोजनासाठी संयुक्त वितरण व्यवसायासाठी संचयी अंतर / (अधिशेष) खालील तक्त्यात दर्शविले आहे:

टेबल ६: संयुक्त वितरण व्यवसायासाठी संचयी तफावत/(अधिशेष) (रु. कोटी)

| अनु.       | तपशील   | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ |               | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ |               |
|------------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|            |   | एमवायटी ऑर्डर       | वास्तविक      | एमवायटी ऑर्डर       | अंदाजित       |
| 1.         | वायर्स व्यवसायासाठी एआरआर   | १.१२                | १.०७          | १.१३                | १.१९          |
| 2.         | पुरवठा व्यवसायासाठी एआरआर   | ३.४१                | २.६१          | ४.३३                | ३.०८          |
| 3.         | <b>संयुक्त वायर आणि पुरवठा व्यवसायासाठी एआरआर</b>   | <b>४.५३</b>         | <b>३.६८</b>   | <b>५.४६</b>         | <b>४.२७</b>   |
| 4.         | जोड: आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी महसुली तफावत/(अधिशेष)   | ०.०७                | ०.०७          |                     |               |
| 5.         | जोड: आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी महसुली तफावत / (अधिशेष)   | (१.०४)              | (१.०४)        |                     |               |
| 6.         | जोड: आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील महसुली तफावत/ (अधिशेष) साठी वाहून नेणे/ (होलिडिंग) खर्च | (०.१८)              | (०.१८)        |                     |               |
| 7.         | जोड: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी महसुली तफावत / (अधिशेष)   | (१.६०)              | (१.६०)        |                     |               |
| <b>8.</b>  | <b>एकूण महसुली आवश्यकता</b>   | <b>१.७८</b>         | <b>०.९४</b>   | <b>५.४६</b>         | <b>४.२७</b>   |
| 9.         | महसुलाची आवश्यकता पुढील वर्षासाठी पुढे ढकलली - किरकोळ विक्री  | १.४४                | १.४४          | (१.४४)              | (१.४४)        |
| 10.        | महसुली स्थगितीमुळे होलडिंग कॉस्ट  | (०.०७)              | (०.०७)        | (०.०७)              | (०.०७)        |
| <b>11.</b> | <b>NET एआरआर</b>  | <b>३.१६</b>         | <b>२.३१</b>   | <b>३.९५</b>         | <b>२.७६</b>   |
| 12.        | टॅरिफमधून मिळणारा महसूल   | ३.३९                | २.९९          | ४.२४                | ३.३१          |
| <b>13.</b> | <b>परवानाधारक व्यवसायातील महसुली तफावत/(अतिरिक्त)</b>   | <b>(०.२३)</b>       | <b>(०.६८)</b> | <b>(०.२९)</b>       | <b>(०.५५)</b> |

याचिकाकर्त्याने माननीय आयोगाला विनंती केली आहे की वरील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी तात्पुरत्या समायोजनासाठी संयुक्त वितरण व्यवसायासाठी संचयी तफावत / (अधिशेष) मंजूर करावी.

५. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० दरम्यान एमवायटी नियंत्रण कालावधीसाठी अंदाजित एआरआर

याचिकाकाल्यानि एमवायटी नियम, २०२४ च्या नियमन ५.१ (३) च्या अनुषंगाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० या नियंत्रण कालावधीसाठी एआरआरचा अंदाज वर्तविला आहे. वायर बिझनेस अँड सप्लाय बिझनेससाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० या नियंत्रण कालावधीसाठी अंदाजित एआरआरचा सारांश खालील तक्ते दर्शवितात:

टेबल ७: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० साठी वायर्स व्यवसायासाठी एआरआर सारांश (कोटी रुपये)

| अनु. | तपशील  | आर्थिक वर्ष<br>२०२५-२६ | आर्थिक वर्ष<br>२०२६-२७ | आर्थिक वर्ष<br>२०२७-२८ | आर्थिक वर्ष<br>२०२८-२९ | आर्थिक वर्ष<br>२०२९-३० |
|------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.   | ऑपरेशन आणि देखभाल खर्च                         | ०.६७                   | ०.७१                   | ०.७४                   | ०.७८                   | ०.८१                   |
| 2.   | अवमूल्यन                                       | ०.१९                   | ०.१९                   | ०.१९                   | ०.१९                   | ०.१९                   |
| 3.   | कर्ज भांडवलावरील व्याज                         | ०.१७                   | ०.१५                   | ०.१३                   | ०.१२                   | ०.१०                   |
| 4.   | वर्किंग कॅपिटलवरील व्याज                       | ०.०२                   | ०.०२                   | ०.०२                   | ०.०२                   | ०.०२                   |
| 5.   | सिक््युरिटी डिपॉझिटवरील व्याज                  | ०.०१                   | ०.०१                   | ०.०१                   | ०.०१                   | ०.०१                   |
| 6.   | बुडीत व संशयास्पद कर्जाची तरतूद                | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   |
| 7.   | आपत्कालीन साठ्यात योगदान                       | ०.०१                   | ०.०१                   | ०.०१                   | ०.०१                   | ०.०१                   |
| 8.   | <b>एकूण महसुली खर्च</b>                        | <b>१.०६</b>            | <b>१.०८</b>            | <b>१.०९</b>            | <b>१.१२</b>            | <b>१.१४</b>            |
| 9.   | जोड: इक्विटी भांडवलावर परतावा                  | ०.१८                   | ०.१८                   | ०.१८                   | ०.१८                   | ०.१८                   |
| 10.  | <b>एकूण महसुली आवश्यकता</b>                    | <b>१.२४</b>            | <b>१.२६</b>            | <b>१.२८</b>            | <b>१.३०</b>            | <b>१.३२</b>            |
| 11.  | कमी: नॉन-टॅरिफ उत्पन्न                         | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   |
| 12.  | <b>वितरण तारांपासून एकूण महसुलाची आवश्यकता</b> | <b>१.२४</b>            | <b>१.२६</b>            | <b>१.२८</b>            | <b>१.३०</b>            | <b>१.३२</b>            |

टेबल ८: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० साठी किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी एआरआर सारांश (कोटी रुपये)

| अनु. | तपशील                  | आर्थिक वर्ष<br>२०२५-२६ | आर्थिक वर्ष<br>२०२६-२७ | आर्थिक वर्ष<br>२०२७-२८ | आर्थिक वर्ष<br>२०२८-२९ | आर्थिक वर्ष<br>२०२९-३० |
|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1    | वीज खरेदी खर्च         | २.६६                   | २.७४                   | २.८३                   | २.९१                   | ३.००                   |
| 2    | ऑपरेशन आणि देखभाल खर्च | ०.३५                   | ०.३७                   | ०.३९                   | ०.४०                   | ०.४२                   |
| 3    | अवमूल्यन               | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   |
| 4    | कर्ज भांडवलावरील व्याज | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   |

| अनु.     | तपशील  | आर्थिक वर्ष<br>२०२५-२६ | आर्थिक वर्ष<br>२०२६-२७ | आर्थिक वर्ष<br>२०२७-२८ | आर्थिक वर्ष<br>२०२८-२९ | आर्थिक वर्ष<br>२०२९-३० |
|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5        | वर्किंग कॅपिटलवरील व्याज                             | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   |
| 6        | ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज                        | ०.०५                   | ०.०५                   | ०.०५                   | ०.०५                   | ०.०५                   |
| 7        | बुडीत व संशयास्पद कर्जे माफ करा                      | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   |
| 8        | आपत्कालीन साठ्यात योगदान                             | ०.०००१                 | ०.०००१                 | ०.०००१                 | ०.०००१                 | ०.०००१                 |
| 9        | राज्यांतर्गत पारेषण शुल्क                            | ०.१९                   | ०.२८                   | ०.३३                   | ०.३६                   | ०.३९                   |
|          | आयएनएसटीएस<br>समायोजन<br>तफावत                       | ०.०१                   |                        |                        |                        |                        |
| 1        | एमएसएलडीसी शुल्क आणि शुल्क                           | ०.००१                  | ०.००१                  | ०.००२                  | ०.००२                  | ०.००२                  |
| 1        | एसटीयू शुल्क   | ०.०००२                 | ०.०००२                 | ०.०००२                 | ०.०००२                 | ०.०००२                 |
| <b>1</b> | <b>एकूण महसुली खर्च</b>                              | <b>३.२७</b>            | <b>३.४५</b>            | <b>३.६०</b>            | <b>३.७४</b>            | <b>३.८७</b>            |
| 1        | जोड: इक्विटी भांडवलावर परतावा                        | ०.००२                  | ०.००२                  | ०.००२                  | ०.००२                  | ०.००२                  |
| <b>1</b> | <b>एकूण महसुली आवश्यकता</b>                          | <b>३.२७</b>            | <b>३.४५</b>            | <b>३.६०</b>            | <b>३.७४</b>            | <b>३.८८</b>            |
| 1        | वजा: नॉन-टॅरिफ उत्पन्न                               | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   | ०.००                   |
| <b>1</b> | <b>किरकोळ पुरवठ्यातून एकूण<br/>महसुलाची आवश्यकता</b> | <b>३.२७</b>            | <b>३.४५</b>            | <b>३.६०</b>            | <b>३.७४</b>            | <b>३.८८</b>            |

एलबीएससीएमएलने खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित वर्षासाठी अंदाजित श्रेणीनिहाय विक्री आणि विद्यमान दर, म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी माननीय आयोगाने मंजूर केलेले दर विचारात घेऊन नियंत्रण कालावधीच्या प्रत्येक वर्षासाठी विद्यमान दरामधून महसुलाची गणना केली आहे:

टेबल ९ : नियंत्रण कालावधीसाठी विद्यमान दरातून मिळणारे उत्पन्न (कोटी रुपये)

| तपशील                                    | आर्थिक<br>वर्ष<br>२०२५-२६ | आर्थिक<br>वर्ष<br>२०२६-२७ | आर्थिक<br>वर्ष<br>२०२७-२८ | आर्थिक<br>वर्ष<br>२०२८-२९ | आर्थिक<br>वर्ष<br>२०२९-३० |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| विद्यमान दरातून मिळणारे उत्पन्न - वायर   | ०.९२                      | ०.९४                      | ०.९७                      | १.००                      | १.०३                      |
| विद्यमान दरातून मिळणारे उत्पन्न - पुरवठा | २.३३                      | २.३८                      | २.४४                      | २.५०                      | २.५६                      |
| <b>एकूण महसूल</b>                        | <b>३.२४</b>               | <b>३.३३</b>               | <b>३.४१</b>               | <b>३.५०</b>               | <b>३.५९</b>               |

## ६. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० या नियंत्रण कालावधीसाठी शुल्क प्रस्ताव

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या तात्पुरत्या समायोजनानंतर महसुली तफावत/(अधिशेष) आणि आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० या नियंत्रण कालावधीसाठी अंदाजित महसुली तफावत / (अधिशेष) च्या वरील गणनांच्या आधारे याचिकाकर्त्याने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० मध्ये वसुली / समायोजन प्रस्तावित केले आहे.

### आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये वसुलीसाठी प्रस्तावित एकूण महसुली तफावत/(अधिशेष)

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अंदाजित एआरआर आणि विद्यमान दरांमधून मिळणाऱ्या महसुलावर आधारित एकूण अंदाजित महसुली तफावत / अधिशेष खालील तक्त्यात सारांशित केला आहे:

टेबल १०: नियंत्रण कालावधीसाठी वितरण तार व्यवसायासाठी विद्यमान दरावरील अंदाजित महसुली तफावत/ (अधिशेष) (रु. कोटी)

| अनु.  | तपशील   | आर्थिक वर्ष<br>२०२५-२६ | आर्थिक वर्ष<br>२०२६-२७ | आर्थिक वर्ष<br>२०२७-२८ | आर्थिक वर्ष<br>२०२८-२९ | आर्थिक वर्ष<br>२०२९-३० |
|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| एक.   | स्टँडअलोन एआरआर   | १.२४                   | १.२६                   | १.२८                   | १.३०                   | १.३२                   |
| दो.   | विद्यमान शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न (आर्थिक वर्ष २०२४-२५ शुल्क)    | ०.९२                   | ०.९४                   | ०.९४                   | १.००                   | १.०३                   |
| तीन.  | विद्यमान दरांसह महसुली तफावत/(अधिशेष)                             | ०.३३                   | ०.३१                   | ०.३३                   | ०.३०                   | ०.२९                   |
| चार.  | मागील वर्षासाठी लागू असलेल्या सुधारित दरासह महसुली तफावत/(अधिशेष) | ०.३३                   | ०.०२                   | ०.०२                   | ०.०२                   | ०.०२                   |
| पाँच. | वार्षिक दरवाढ आवश्यक (%)  | ३६%                    | १.४%                   | १.५%                   | १.६%                   | १.७%                   |

टेबल ११: नियंत्रण कालावधीसाठी पुरवठा व्यवसायासाठी विद्यमान दरावरील अंदाजित महसुली तफावत/ (अधिशेष) (रु. कोटी)

| अनु. | तपशील  | आर्थिक वर्ष<br>२०२५-२६ | आर्थिक वर्ष<br>२०२६-२७ | आर्थिक वर्ष<br>२०२७-२८ | आर्थिक वर्ष<br>२०२८-२९ | आर्थिक वर्ष<br>२०२९-३० |
|------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| १.   | पुरवठा व्यवसायासाठी स्वतंत्र एआरआर             | ३.२७                   | ३.४५                   | ३.६०                   | ३.७४                   | ३.८८                   |
| २.   | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वाढीव अंतर / (अधिशेष) | ०.६१                   |                        |                        |                        |                        |



| अनु.      | तपशील   | आर्थिक वर्ष<br>२०२५-२६ | आर्थिक वर्ष<br>२०२६-२७ | आर्थिक वर्ष<br>२०२७-२८ | आर्थिक वर्ष<br>२०२८-२९ | आर्थिक<br>वर्ष<br>२०२९-३० |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.        | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी समायोजन तफावत/(अधिशेष)                       | (०.६८)                 |                        |                        |                        |                           |
| 4.        | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी तात्पुरत्या मुदतीनंतर समायोजन तफावत/(अधिशेष) | (०.५५)                 |                        |                        |                        |                           |
| 5.        | मागील वर्षाच्या समायोजन तफावतवर वाहून नेणे/(होलिडिंग) खर्च/(अधिशेष)   | (०.०१)                 |                        |                        |                        |                           |
| <b>6.</b> | <b>संचयी एआरआर</b>  | <b>२.६३</b>            | <b>३.४५</b>            | <b>३.६०</b>            | <b>३.७४</b>            | <b>३.८८</b>               |
| 7.        | दरांचा परिणाम सुरळीत करण्यासाठी ५ वर्षात महसुली अनुशोषाचा विस्तार     | ०.१७                   | (०.४३)                 | (०.१३)                 | (०.१३)                 | (०.१३)                    |
| 8.        | ५ वर्षात तफावत/(अधिशेष) पसरल्यामुळे वाहून नेणे/(होलिडिंग) खर्च        | (०.०९)                 | (०.०४)                 | (०.०३)                 | (०.०१)                 | -                         |
| <b>9.</b> | <b>वसुलीसाठी सुधारित संचयी एआरआर</b>                                  | <b>२.७२</b>            | <b>२.९८</b>            | <b>३.४५</b>            | <b>३.५९</b>            | <b>३.७५</b>               |
| 10        | विद्यमान शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न (आर्थिक वर्ष २०२४-२५ शुल्क)        | २.३३                   | २.३८                   | २.४७                   | २.५०                   | २.५६                      |
| 11        | विद्यमान दरांसह महसुली तफावत/(अधिशेष)                                 | ०.३९                   | ०.६०                   | ०.९८                   | १.१०                   | १.१९                      |
| 12        | मागील वर्षासाठी लागू असलेल्या सुधारित दरांसह महसुली तफावत/(अधिशेष)    | ०.३९                   | ०.२७                   | ०.४६                   | ०.१५                   | ०.१५                      |
| 13        | <b>वार्षिक दरवाढ आवश्यक (%)</b>                                       | <b>१७%</b>             | <b>९.८%</b>            | <b>१५.६%</b>           | <b>४.३%</b>            | <b>४.२%</b>               |

याचिकाकर्त्याने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० साठी प्रवर्गानिहाय दर प्रस्तावित केले आहेत, जेणेकरून एकूण महसूल अधिशोषाचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल जेणेकरून ग्राहकांना नियंत्रण कालावधीच्या उर्वरित वर्षासाठी हळूहळू दरवाढीला सामोरे जावे लागेल.

खालील टेबल आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० साठी वसुली, पुरवठा सरासरी किंमत (एसीओएस) आणि पुरवठ्याची किरकोळ किंमत (आरसीओएस) साठी विचारात घेतलेल्या अंदाजित महसुली आवश्यकता दर्शवितो:

**टेबल १२: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० साठी अंदाजित महसुली आवश्यकता, एसीओएस आणि आरसीओएस (कोटी रुपये)**

| तपशील   | आर्थिक वर्ष<br>२०२५-२६ | आर्थिक वर्ष<br>२०२६-२७ | आर्थिक वर्ष<br>२०२७-२८ | आर्थिक वर्ष<br>२०२८-२९ | आर्थिक वर्ष<br>२०२९-३० |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| पुरवठा व्यवसायासाठी संचयी एआरआर               | २.७२                   | २.९८                   | ३.४५                   | ३.५९                   | ३.७५                   |
| विक्री (केव्हीएच)                             | ४.३०                   | ४.४३                   | ४.५६                   | ४.७०                   | ४.८४                   |
| <b>किरकोळ पुरवठा खर्च (रु. / केव्हीएच)</b>    | ४.३०                   | ४.४३                   | ४.५६                   | ४.७०                   | ४.८४                   |
| वितरण व्यवसायाचा एकत्रित एआरआर (कोटी रुपये)   | ३.९६                   | ४.२४                   | ४.७२                   | ४.८९                   | ५.०७                   |
| <b>पुरवठ्याची सरासरी किंमत (रु./केव्हीएच)</b> | ९.२०                   | ९.५७                   | १०.३५                  | १०.४०                  | १०.४६                  |

व्हीलिंग चार्जेस असे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत की संपूर्ण वायर्स एआरआर व्हीलिंग चार्जेसमधून वसूल केले जाईल. याचिकाकर्त्याने नियंत्रण कालावधीच्या प्रत्येक वर्षासाठी रिटेल कॉस्ट ऑफ सप्लाय (आरसीओएस) आणि त्या वर्षाच्या पुरवठा व्यवसायाच्या सरासरी बिलिंग रेट (एबीआर) ची जुळवाजुळव केली आहे.

**टेबल १३: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० साठी प्रस्तावित व्हीलिंग शुल्क (रु. / केव्हीएच)**

| अनु. | तपशील                                    | आर्थिक वर्ष<br>२०२५-२६ | आर्थिक वर्ष<br>२०२६-२७ | आर्थिक वर्ष<br>२०२७-२८ | आर्थिक वर्ष<br>२०२८-२९ | आर्थिक वर्ष<br>२०२९-३० |
|------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.   | कंपोझिट व्हीलिंग चार्ज<br>(रु./केव्हीएच) | २.८९                   | २.८४                   | २.८०                   | २.७६                   | २.७२                   |

याचिकाकर्त्याच्या बाबतीत एकत्रित व्हीलिंग चार्जेसचा विचार करण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने माननीय आयोगाला केली आहे.

खालील तक्ते आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० या नियंत्रण कालावधीसाठी याचिकाकर्त्याने प्रस्तावित केलेले श्रेणीनिहाय दर दर्शवितात.

**टेबल १४: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी प्रस्तावित शुल्क वेळापत्रक**

| अनु.     | ग्राहक श्रेणी      | दरमहा निश्चित/ मागणी<br>शुल्क | व्हीलिंग चार्जेस<br>(रु. / केव्हीएच) | ऊर्जा शुल्क<br>(रु./केव्हीएच) |
|----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>A</b> | <b>एचटी श्रेणी</b> |                               |                                      |                               |
| १        | एचटी २             | ४८० रुपये प्रति केव्हीए       | २.८९                                 | ५.१५                          |
| <b>B</b> | <b>एलटी श्रेणी</b> |                               |                                      |                               |
| १        | एलटी २ - ए         | ४५० रुपये प्रति किलोवॉट       | २.८९                                 | ६.२०                          |

| अनु. | ग्राहक श्रेणी | दरमहा निश्चित/ मागणी शुल्क | व्हीलिंग चार्जेस (रु. / केव्हीएच) | ऊर्जा शुल्क (रु/केव्हीएच) |
|------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| २    | एलटी २ - बी   | ४५० रुपये प्रति केव्हीए    | २.८९                              | ४.५८                      |
| ३    | एलटी २ - सी   | ४५० रुपये प्रति केव्हीए    | २.८९                              | ५.२९                      |
| ४    | एलटी व्ही ए   | ४५० रुपये प्रति किलोवॉट    | २.८९                              | ६.१५                      |

टेबल १५: आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी प्रस्तावित शुल्क वेळापत्रक

| अनु.     | ग्राहक श्रेणी      | दरमहा निश्चित/ मागणी शुल्क | व्हीलिंग चार्जेस (रु. / केव्हीएच) | ऊर्जा शुल्क (रु/केव्हीएच) |
|----------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>A</b> | <b>एचटी श्रेणी</b> |                            |                                   |                           |
| १        | एचटी २             | ५०५ रुपये प्रति केव्हीए    | २.८४                              | ५.५५                      |
| <b>B</b> | <b>एलटी श्रेणी</b> |                            |                                   |                           |
| १        | एलटी २ - ए         | ४७५ रुपये प्रति किलोवॉट    | २.८४                              | ६.६०                      |
| २        | एलटी २ - बी        | ४७५ रुपये प्रति केव्हीए    | २.८४                              | ४.९५                      |
| ३        | एलटी २ - सी        | ४७५ रुपये प्रति केव्हीए    | २.८४                              | ५.६९                      |
| ४        | एलटी व्ही ए        | ४७५ रुपये प्रति किलोवॉट    | २.८४                              | ६.५८                      |

टेबल १६: आर्थिक वर्ष २०२७-२८ साठी प्रस्तावित शुल्क वेळापत्रक

| अनु.     | ग्राहक श्रेणी      | दरमहा निश्चित/ मागणी शुल्क | व्हीलिंग चार्जेस (रु. / केव्हीएच) | ऊर्जा शुल्क (रु/केव्हीएच) |
|----------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>A</b> | <b>एचटी श्रेणी</b> |                            |                                   |                           |
| १        | एचटी २             | ५३० रुपये प्रति केव्हीए    | २.८०                              | ६.३५                      |
| <b>B</b> | <b>एलटी श्रेणी</b> |                            |                                   |                           |
| १        | एलटी २ - ए         | ५०० रुपये प्रति किलोवॉट    | २.८०                              | ७.४२                      |
| २        | एलटी २ - बी        | ५०० रुपये प्रति केव्हीए    | २.८०                              | ५.७५                      |
| ३        | एलटी २ - सी        | ५०० रुपये प्रति केव्हीए    | २.८०                              | ६.४९                      |
| ४        | एलटी व्ही ए        | ५०० रुपये प्रति किलोवॉट    | २.८०                              | ७.४८                      |

टेबल १७: आर्थिक वर्ष २०२८-२९ साठी प्रस्तावित शुल्क वेळापत्रक

| अनु.     | ग्राहक श्रेणी      | दरमहा निश्चित/ मागणी शुल्क | व्हीलिंग चार्जेस (रु. / केव्हीएच) | ऊर्जा शुल्क (रु/केव्हीएच) |
|----------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>A</b> | <b>एचटी श्रेणी</b> |                            |                                   |                           |

| अनु.     | ग्राहक श्रेणी      | दरमहा निश्चित/ मागणी शुल्क | व्हीलिंग चार्जेस (रु. / केव्हीएच) | ऊर्जा शुल्क (रु/केव्हीएच) |
|----------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| १        | एचटी २             | ५५५ रुपये प्रति केव्हीए    | २.७६                              | ६.४९                      |
| <b>B</b> | <b>एलटी श्रेणी</b> |                            |                                   |                           |
| १        | एलटी २ - ए         | ५२५ रुपये प्रति किलोवॉट    | २.७६                              | ७.५२                      |
| २        | एलटी २ - बी        | ५२५ रुपये प्रति केव्हीए    | २.७६                              | ५.८०                      |
| ३        | एलटी २ - सी        | ५२५ रुपये प्रति केव्हीए    | २.७६                              | ६.५४                      |
| ४        | एलटी व्ही ए        | ५२५ रुपये प्रति किलोवॉट    | २.७६                              | ७.४८                      |

टेबल १८: आर्थिक वर्ष २०२९-३० साठी प्रस्तावित शुल्क वेळापत्रक

| अनु.     | ग्राहक श्रेणी      | दरमहा निश्चित/ मागणी शुल्क | व्हीलिंग चार्जेस (रु. / केव्हीएच) | ऊर्जा शुल्क (रु/केव्हीएच) |
|----------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>A</b> | <b>एचटी श्रेणी</b> |                            |                                   |                           |
| १        | एचटी २             | ५८० रुपये प्रति केव्हीए    | २.७२                              | ६.४७                      |
| <b>B</b> | <b>एलटी श्रेणी</b> |                            |                                   |                           |
| १        | एलटी २ - ए         | ५५० रुपये प्रति किलोवॉट    | २.७२                              | ७.६०                      |
| २        | एलटी २ - बी        | ५५० रुपये प्रति केव्हीए    | २.७२                              | ५.८५                      |
| ३        | एलटी २ - सी        | ५५० रुपये प्रति केव्हीए    | २.७२                              | ६.६२                      |
| ४        | एलटी व्ही ए        | ५५० रुपये प्रति किलोवॉट    | २.७२                              | ७.५५                      |

याचिकाकर्त्याने माननीय आयोगाला विनंती केली आहे की, कृपया वरील तक्त्यांमध्ये प्रस्तावित केलेल्या शुल्कांना संबंधित वर्षासाठी मान्यता द्यावी.

## ७. प्रार्थना

याचिकाकर्ते माननीय आयोगाकडे खालीलप्रमाणे प्रार्थना करतात:

याचिकाकर्ता मा. आयोगाकडे प्रार्थना करतो की:

- I. एमइआरसी (एमवायटी) नियमावली २०१९ च्या नियम ५.१ नुसार एमवायटी याचिका स्वीकारावी आणि पुढील सुनावणीसाठी विचारात घ्यावी;
- II. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे समायोजन आणि महसूल तफावत/(अधिशेष) मंजूर करावे आणि ते टॅरिफद्वारे वसूल करण्यास परवानगी द्यावी, जसे याचिकाकर्त्याने प्रस्तावित केले आहे;

- III. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे तात्पुरते समायोजन आणि महसूल तफावत/(अधिशेष) मंजूर करावे आणि ते टॅरिफद्वारे वसूल करण्यास परवानगी द्यावी, जसे याचिकाकर्त्याने प्रस्तावित केले आहे;
- IV. याचिकाकर्त्याने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, मागील महसूल तफावत/(अधिशेष) व त्यासोबत वाहक/(धारक) खर्च वसूल करण्यास परवानगी द्यावी;
- V. पुढील नियंत्रण कालावधीसाठी एमवायटी नियमावली २०१९ मध्ये नमूद केलेल्या तत्त्वानुसार ऑपरेशन आणि मेंटेनेंस (O&M) खर्च ठराविक आधारावर निश्चित करावा;
- VI. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० साठी एआरआर मंजूर करावे आणि प्रस्तावित सुधारित टॅरिफद्वारे त्याचे वसूल करण्यास परवानगी द्यावी;
- VII. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० च्या एआरआर मंजुरीसाठी याचिकाकर्त्याचा ट्रान्समिशन शुल्क आणि एमएसएलडीसी शुल्कातील वाटा निश्चित करावा;
- VIII. याचिकाकर्त्याने प्रस्तावित केलेले व्हिलिंग शुल्क मंजूर कराव्यात;
- IX. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० साठी रीटेल सप्लाय टॅरिफ व टॅरिफ शेड्यूल मंजूर करावे, जसे याचिकाकर्त्याने प्रस्तावित केले आहे;
- X. टॅरिफ धोरण २०१६ अंतर्गत नमूद सूत्रानुसार याचिकाकर्त्याचा सीएसएस ठरवावा;
- XI. २० MW पेक्षा कमी पीक लोड असलेल्या सर्व एसइझेड डीडीएलस ला एमइआरसी रिसोर्स अडेक्सी रेग्युलेशन्स मधून सूट द्यावी;
- XII. एमइआरसी डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी पोर्टफोलियो ऑब्लिगेशन रेग्युलेशन्स [डीएफपीओ] च्या सविस्तर पालनासाठी अधिक वेळ द्यावा;
- XIII. स्व-उपयोगाच्या मूल्यांकनासाठी अधिक वेळ मंजूर करावा;
- XIV. कोणत्याही अनवधानाने झालेल्या चूका, त्रुटी किंवा उणिवा माफ कराव्यात व याचिकाकर्त्याला आवश्यकतेनुसार भविष्यात ही याचिका बदलण्यासाठी/सुधारण्यासाठी/परिवर्तित करण्याची परवानगी द्यावी;
- XV. या प्रकरणातील परिस्थिती पाहता योग्य व उचित असे आदेश द्यावेत.